न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महिपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 121/2021 प्रार्थनापत्र

1. गिरधारी सिंह पुत्र श्री कान सिंह आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. चन्दन सिंह पुत्र श्री कान सिंह आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––– प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण सिंह पुत्र श्री भीमसिंह आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. नारायण सिंह दत्तक पुत्र खेम सिंह आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. चावण्ड सिंह पुत्र श्री मूल सिंह आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. दीप सिंह पुत्र श्री मूल सिंह आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. पेमसिंह पुत्र श्री मूल सिंह आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. रामसिंह पुत्र श्री नरवर सिंह आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. लाड़ कंवर पत्नी मूल सिंह आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. शंकर सिंह पुत्र श्री मूल सिंह आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––––– विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:56:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
जिला भीलवाड़ा

1\. श्री

—अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक— 26/07/2022

प्रार्थीगण के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा— 251—ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 2025 रकबा 0.1897 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की होकर प्रार्थी का ही कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि ग्राम बेमाली मे मुख्य सड़क से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 की आराजी नम्बर 2021 , 2024 की उत्तरी मेड़ के सहारे होकर प्रार्थी की आराजी नम्बर 2025 मे आते जाते है, जिससे प्रार्थी अपने बैलगाडी, संज, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते है। उक्त रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षी संख्या 03,04,07 अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी व विपक्षी संख्या 01,02,05,06 एवं 08 द्वारा अपनी सहमति दी गयी। प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थीगण की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 2025 दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 2021 रकबा 0.0506 हैक्टयर, 3874/2024 रकबा 0.126 हैक्टयर खातेदार चावण्ड सिंह, दीप सिंह, पेम सिंह, शंकर सिंह, मूल सिंह, लाड़ कंवर पत्नी मूल सिंह, रामसिंह पिता नरवर सिंह व आराजी नम्बर 2024 रकबा 0.1391 हेक्टयर नारायण सिंह पुत्र श्री भीमसिंह दत्तक पुत्र खेम सिंह राजपूत के नाम पर दर्ज रेकार्ड है , मौके पर वर्तमान मे उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नही है। प्रार्थी के अनुसार वह इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता विपक्षीगण की आराजी नम्बर 2021 रकबा 0.0506 हैक्टयर मे से 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3874/2024 रकबा 0.126 हैक्टयर मे से 0.0062 हैक्टर व आराजी नम्बर 2024 रकबा 0.1391 मे से 0.0195 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 0.0383 हैक्टयर भूमि आती है, रास्ते मे ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षीगण को देय है, प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , प्रार्थी सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 2025 मे आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 2021 रकबा 0.0506 हैक्टयर मे से 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3874/2024 रकबा 0.126 हैक्टयर मे से 0.0062 हैक्टर व आराजी नम्बर 2024 रकबा 0.1391 मे से 0.0195

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:36:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 0.0383 हैक्टयर भूमि 16 फीट चौडाई के रूप मे दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 की सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की विपक्षीगण की आराजी नम्बर 2021 रकबा 0.0506 हैक्टयर मे से 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3874/2024 रकबा 0.126 हैक्टयर मे से 0.0062 हैक्टर व आराजी नम्बर 2024 रकबा 0.1391 मे से 0.0195 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 0.0383 हैक्टयर भूमि का रास्ता 16 फीट चौडाई मे प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2025 पर कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे भी रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 0.0383 हैक्टयर भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षीगण को क्षतिपूर्ति हेतु अदा की जावे।

यह आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:56:46 IST
Reason: SelfAttested